न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 262/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/67)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. जगतार सिंह पुत्र राम सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. हरजिन्द्र सिंह पुत्र राम सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर।	1. गुरमेल सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 48, 49 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 14.08.2023

उपस्थितः 1. श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादीगण
2. श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

——निर्णय—— **दिनांकः 03.09.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 4 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 31/30 के मुरब्बा नम्बर 36 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 1 जगतार सिंह के नाम से 0.739 हैक्टेयर भूमि व वादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिंह के नाम 0.738 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 80/71 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 6.197 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिंह के नाम 0.268 हैक्टेयर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 16/13 के मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 3.098 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिंह के नाम 1.033 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। काश्त की सहूलियत के हिसाब से तथा भूमि को टूकडो में होने से बचाने के लिए वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 ने आपस में घरू वाहमी बंटवारा किया हुआ है। घरू बंटवारा में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 6 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 16/13 में दर्ज 1.301 हैक्टेयर रकबा गुरमेल सिंह के नाम कलमजन होकर वादीगण के नाम से बहिस्सा बराबर-बराबर दर्ज होना है। इस प्रकार से चक 4 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 31/30 में वादी संख्या जगतार सिंह के नाम 0.739 हैक्टेयर भूमि व वादी संख्या 2 के नाम दर्ज 0.562 हैक्टेयर रकबा कुल 1.301 हैक्टेयर रकबा वादीगण के नाम से कलमजन होकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होना है। उक्त घरू बंटवारानामा के अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपनी-अपनी भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। दावा डायरी से दो रोज पूर्व वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 से मिले और उनसे विनियम अनुसार भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 80/71 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 6.197 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिंह के नाम दर्ज 1.301 हैक्टेयर भूमि का वादीगण जगतार सिंह, हरजिन्द्र सिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार व राजस्व ग्राम 4 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 31/30 के मुरब्बा नम्बर 36 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 1 जगतार सिंह के नाम से दर्ज 0.739 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिंह के नाम से दर्ज 0.738 हैक्टेयर भूमि कुल 1.301 हैक्टेयर भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिंह को घोषित किया जाकर किया जावे एवं उपर्युक्तानुसार अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर को डिक्री पारित की जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादगत भूमि के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1440 दिनांक 27.06.2025 प्राप्त हुई। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 80/71 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 6.197 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिंह के नाम दर्ज 1.301 हैक्टेयर भूमि पर वादीगण जगतार सिंह, हरजिन्द्र सिंह का कब्जा काश्त व राजस्व ग्राम 4 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 31/30 के मुरब्बा नम्बर 36 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 1 जगतार सिंह के नाम से दर्ज 0.739 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिंह के नाम से दर्ज 0.738 हैक्टेयर भूमि कुल 1.301 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिंह का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध किए गए एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश निरस्त किए गए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से सहमति का जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जातो है, तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा सहमति का जवाबदावा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र, तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट व प्रतिवादी के सहमति जवाबदावा के अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादीगण के वादपत्र मय शपथपत्र, जवाबदावा मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र, उभयपक्ष की सहमति मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 48, 49 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष की सहमति अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 80/71 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 6.197 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिंह के नाम दर्ज 1.301 हैक्टेयर भूमि का वादीगण जगतार सिंह, हरजिन्द्र सिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार व राजस्व ग्राम 4 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 31/30 के मुरब्बा नम्बर 36 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 1 जगतार सिंह के नाम से दर्ज 0.739 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिंह के नाम से दर्ज 0.738 हैक्टेयर भूमि कुल 1.301 हैक्टेयर भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जगतार सिंह आदि बनाम गुरमेल सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 88, 91, 48, 49 आरटीए

मुकदमा नम्बर **262/2023**

निर्णय दिनांक :-03.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड, प्रतिवादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 48, 49 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष की सहमति अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 80/71 के मुरब्बा नम्बर 42 की कुल 6.197 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिंह के नाम दर्ज 1.301 हैक्टेयर भूमि का वादीगण जगतार सिंह, हरजिन्द्र सिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार व राजस्व ग्राम 4 एफ ए, पटवार हल्का रूपनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 31/30 के मुरब्बा नम्बर 36 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 1 जगतार सिंह के नाम से दर्ज 0.739 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिंह के नाम से दर्ज 0.738 हैक्टेयर भूमि कुल 1.301 हैक्टेयर भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेल सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 03.09.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम} (आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	300	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**304**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम} (आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

दिनांक 08.09.2025

क्रमांकः रीडर/2025/671

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम} (आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

(राजस्व) ... पुर (श्रीगंगानगर)